



माध्यमिक विद्यालयों हेतु अवकाश तालिका
01 जनवरी, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 तक

क्र०सं०	दिनांक	माह	दिवस	अवकाश का नाम	अवकाश की संख्या
1	06	जनवरी	सोमवार	गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती	01
2	14	जनवरी	मंगलवार	मकर संक्रान्ति / *हजरत अली का जन्म दिवस	01
3	26	जनवरी	रविवार	गणतंत्र दिवस	01
4	02	फरवरी	रविवार	बसन्त पंचमी	01
5	12	फरवरी	बुधवार	संत रविदास जयन्ती	01
6	26	फरवरी	बुधवार	महाशिवरात्रि	01
7	13	मार्च	गुरुवार	होलिका दहन	01
8	14	मार्च	शुक्रवार	होली	01
9	31	मार्च	सोमवार	*ईद-उल-फितर	01
10	06	अप्रैल	रविवार	रामनवमी	01
11	10	अप्रैल	गुरुवार	महावीर जयन्ती	01
12	14	अप्रैल	सोमवार	डॉ० भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस	01
13	18	अप्रैल	शुक्रवार	गुड फ्राइडे	01
14	21	अप्रैल	सोमवार	ईस्टर-मंडे	01
15	12	मई	सोमवार	बुध पूर्णिमा	01

दिनांक 21 मई से 30 जून, 2025 तक ग्रीष्मावकाश

16	06	जुलाई	रविवार	*मोहर्रम	01
17	09	अगस्त	शनिवार	रक्षा बन्धन	01
18	14	अगस्त	गुरुवार	चेहल्लुम	01
19	15	अगस्त	शुक्रवार	स्वतंत्रता दिवस	01
20	16	अगस्त	शनिवार	जन्माष्टमी	01
21	05	सितम्बर	शुक्रवार	ईद-ए-मिलाद / बारावफात	01
22	17	सितम्बर	बुधवार	विश्वकर्मा पूजा	01
23	01	अक्टूबर	बुधवार	दशहरा महानवमी	01
24	02	अक्टूबर	गुरुवार	महात्मा गाँधी जयन्ती / विजयदशमी	01
25	20	अक्टूबर	सोमवार	नरक चतुर्दशी / दीपावली	01
26	22	अक्टूबर	बुधवार	गोवर्द्धन पूजा	01



27	23	अक्टूबर	गुरुवार	भैयादूज/चित्रगुप्त जयन्ती	01
28	05	नवम्बर	बुधवार	गुरु नानक जयन्ती/कार्तिक पूर्णिमा	01
29	24	नवम्बर	सोमवार	गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस	01
30	25	दिसम्बर	गुरुवार	क्रिसमस-डे	01

अवकाश/रविवार/ग्रीष्मावकाश दिवस	—	119
बोर्ड परीक्षा दिवस	—	12
कार्य दिवस/शिक्षण दिवस	—	234
योग	—	365

नोट:-

- 1) विशेष परिस्थिति में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के विवेकाधीन 03 दिन का अवकाश रहेगा, जिसकी सूचना विद्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा किये जाने के साथ ही संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया जाना अनिवार्य है।
- 2) *मुस्लिम त्योहार स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार होंगे।
- 3) प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत विवाहित महिलाओं के लिए करवा चौथ का अवकाश होगा।
- 4) क्षेत्र विशेष में हरि तालिका तीज अथवा हरियाली तीज, संकठा चतुर्थी, हलषष्ठी/ललई छठ, जीउतिया व्रत/अहोई अष्टमी हेतु व्रत रखने वाली कार्यरत महिला शिक्षिकाओं को उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा कोई दो अवकाश अनुमन्य किया जायेगा।
- 5) शोक सभाएँ केवल विद्यालयों में कार्यरत अध्यापको, कर्मचारियों एवं छात्र/छात्रा के निधन पर ही होगी। विशेष परिस्थिति में शोक सभाएँ अन्तिम वादन में की जायेगी।
- 6) स्थानीय अवकाश जिलाधिकारी द्वारा निर्गत अवकाश तालिका के अनुसार देय होंगे।
- 7) राष्ट्रीय पर्वों पर विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
- 8) महापुरुषों के साथ-साथ देश के स्वाधीनता आन्दोलन के क्रान्तिकारियों एवं प्रसिद्ध समाज सुधारकों आदि के जन्म दिवसों पर विद्यालयों में कम से कम एक घण्टे गोष्ठी/सेमिनार आदि आयोजित कर समाज व राष्ट्र को दिशा देने वाले उनके व्यक्तित्व, कृतित्व तथा उनके जीवन से सम्बद्ध प्रेरक घटनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला जायेगा और यदि उस दिन रविवार या किसी अन्य कारण से अवकाश होगा तो उसके एक दिन पूर्व सम्बन्धित महापुरुष के सम्बन्ध में उपर्युक्त कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

डॉ०(महेन्द्र देव)
शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उ०प्र०, लखनऊ।